छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

:: <u>कार्यालय आदेश</u> ::

क्रमांक 4261 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2015, रायपुर, दिनांक 04/12/2015

जैसा कि विदित ही है कि दिनांक 01 नवंबर, 2014 से छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आवेदनों को "ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेन्ट एन्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" के अंतर्गत केवल ऑन लाईन के माध्यम से ही स्वीकार किये जा रहे हैं। उद्योगों को ऑन लाईन आवेदन करने संबंधी सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। उद्योगों को उपरोक्त सुविधा के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध करा दी गई हैं तथा उद्योग द्वारा इसका सुचारू रूप से उपयोग किया जा रहा है।

"ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेन्ट एन्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" में सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क के भुगतान हेतु 'पेमेंट गेटवे' प्रारंभ किया जा चुका है। इसके माध्यम से स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन के समय ही निर्धारित सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क का भगुतान भी ऑनलाईन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 'ई-वॉलेट, डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, नेट बैंकिग के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में शुल्क के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में स्थापना सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क डिमांड ड्राफ्ट एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों से स्वीकार किये जा रहे हैं। **उद्योगों को सुविधा की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01/01/2016 से स्थापना सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।**

"ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेन्ट एन्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" संबंधी किसी भी स्पष्टीकरण अथवा समस्या निराकरण हेतु मुख्यालय के हेल्प डेस्क में श्री राहुल सोनी (मो. न. 08818909766) से संपर्क किया जा सकता है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 4262/तक/ मु/छ.ग.प.सं.मं/2015 रायपुर, दिनांक 04/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता (प्रभारी), अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, उप अभियंता एवं अधीनस्थ कर्मचारियों, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/रायगढ़/कोरबा/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। अपने कार्यालय में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था करना एवं आपके कार्यक्षेत्र में स्थापित उद्योगों को इस बाबत् सूचित किया जाना सूनिश्चित करें।

3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

4. कार्यालय में नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)